

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल०-39/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० कुमारी प्रियंका, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोड़ारी, कराकाट, रोहतास के द्वारा प्रथम संतान के प्रसव हेतु उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक-06.06.2024 से 06.12.2024 तक को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :-

(i) दिनांक-06.06.2024 से 02.12.2024 तक - कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन मातृत्व अवकाश के रूप में।

(ii) दिनांक-03.12.2024 से 06.12.2024 तक - देय अवकाश के रूप में।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल०-39/2025- 1360(2) पटना, दिनांक 1/18/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम)/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोड़ारी काराकाट, रोहतास/कोषागार पदाधिकारी, रोहतास/डा० कुमारी प्रियंका, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोड़ारी रोहतास को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।